संख्या-353/2015/6456/नौ-5-15-168सीएम/2012

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत, कप्तानगंज जनपद-कुशीनगर में नाले के निर्माण हेतु निर्गत पुनरीक्षित वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अन्तर की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबंधक (नि-8), सी.एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ पत्र संख्या-968/म.नि.नि.-8/का-1/65, दिनांक 26.11.2015, जिसके माध्यम से नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत **नगर पंचायत, कप्तानगंज** जनपद-कुशीनगर में नालें के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-323/2015/335/नौ-5-15-168सीएम/2012, दिनांक 16.10.2015 द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अन्तर की धनराशि रू0 76.14 लाख अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय जल निकासी योजना' के अन्तर्गत नगर पंचायत, कप्तानगंज जनपद-कुशीनगर में जल निकासी हेतु नालें के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-323/2015/335/नौ-5-15-168सीएम/2012, दिनांक 16.10.2015 द्वारा रू0 494.67 लाख की पुनरीक्षित लागत पर निर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अन्तर की धनराशि ₹ 76.14 लाख(₹ छिहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद	नगर निकाय का नाम/कार्य	निर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त/ आगामी किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कुशीनगर	नगर पंचायत, कप्तानगंज	शासनादेश संख्या-323/2015/335/नौ-5-15-168सीएम/2012, दिनांक 16.10.2015	494.67	418.53	76.14
योग						76.14

(₹ छिहत्तर लाख चौदह हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्यों हेतु जिन शासनादेशों के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी तथा जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-353/2015/6456(1)/नौ-5-15-168सीएम/12, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
3- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-08/12/2015

प्रेषण संख्या:- 353

आवंटन आदेश संख्या:- 002-353-2015-6456-9-5-15-168CM-12

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	7614000	7614000
		प्रगामी	31771000	31771000
	योग	वर्तमान	7614000	7614000
		प्रगामी	31771000	31771000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छिहत्तर लाख चौदह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ सत्रह लाख इकत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी